राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 19/2026

दायरा तिथि : 11-3-26

निर्णय :- 22-4-26

छतराराम आदि वनाम राजस्थान सरकार आदि

वाद-पत्र अंतर्गत धारा 136, 88 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 राजस्व रिकॉर्ड संशोधन एवं दुरुस्तिकरण

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने उक्त धारा के तहत एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ढाणी स्वामीयान, पटवार हल्का घंटियाल बड़ी भू० अभि० नि० दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित एक खेत खाता सं० नया 75 व खाता सं० पुराना 69 खसरा नम्बर 422/98 तादादी 2.7190 हैक्टेयर है जो वादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है उक्त खेत खसरान की भूमि की जमाबंदी में वादी संख्या 01 का नाम छतराराम के स्थान पर छगराम व वादी संख्या 02 का नाम लक्ष्मणराम के स्थान पर लिछमणराम है वादी संख्या 01 के आधार कार्ड ओर पेन कार्ड में उसका नाम छतराराम और वादी संख्या 02 के आधार कार्ड ओर पेन कार्ड आदि दस्तावेजों में उसका नाम लक्ष्मणराम ही अंकित है जिसकी वजह से वादीगण को काफी कानूनी पेचेदिगियो का सामना करना पडा है और वादीगण को आधार कार्ड व पेन कार्ड से भिन्न अपना नाम जमाबन्दी में अंकित होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ भी नही मिल रहा है इसलिये वादीगण के लिये उपरोक्त जमावन्दी में अपने नाम सही करवाना अति आवश्यक हो गया है। राजस्व जमाबन्दी में वादी संख्या 01 का नाम छगराम के स्थान पर छतराराम व वादी संख्या 02 का नाम लिछमणराम के स्थान पर लक्ष्मणराम अंकित करवाया जावे। जो सही है, जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में सही किया जावे आदि-आदि वाद पेश किया। वाद दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 01 को जरिए नोटिस तलब किया गया।

पैरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर वादीगण अपना नाम शुद्ध करवाये तो हमें आपत्ति नहीं है। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अपना आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की जिन सभी में वादी संख्या 01 का नाम छतराराम व वादी संख्या 02 का नाम लक्ष्मणराम अंकित है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत जमाबन्दी ग्राम ढाणी स्वामीयान, पटवार हल्का घंटियाल वड़ी भू० अभि० नि० दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित एक खेत खाता सं० नया 75 व खाता सं० पुराना 69 खसरा नम्बर 422/98 तादादी 2.7190 हैक्टेयर में अंकित खातेदार छगराम के स्थान पर छतराराम व लिछमणराम के स्थान पर लक्ष्मणराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं, तहसीलदार बीदासर को प्रतिलिपि पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)